बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./2018/21834–838 24 अगस्त, 2018

अभिरुचि आमंत्रण सूचना

नगर निगम बीकानेर द्वारा नगर निगम सीमा विधानसभा क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिम में घर–घर कचरा संग्रहण कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित स्वयंसेवी संगठनों से विहित प्रपत्र में अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। संस्था को उक्त कार्य के संपादन के लिए संस्थन के निबंधन, पूर्ण तकनीकी ज्ञान, आधारभुत संरचना एवं विगत तीन वर्षो में किये गये कार्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संस्थान को घर–घर कचरा संग्रहण की विस्तृत कार्य योजना, संशोधनों के अतिरिक्त संस्थान की ओर से प्रस्तावित यूजर शुल्क की दरों का विवरण अभिरुचि के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होग। चयनित संस्थान का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि एवं निगम व संस्थान के मध्य तय शर्तो के साथ MOU करना होगा। निगम की मुख्य शर्ते निम्न प्रकार से है :–

1. दोनों जोन में कार्य करने के लिए संस्था को 5–5 लाख की धरोहर राशि निगम कोष में जमा करवानी आवश्यक होगी।
2. स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर के जारी आदेशानुसार ही प्रत्येक घर से राशि वसूल की जावे। तयशुदा राशि से अधिक राशि वसूलने पर संबंधित संस्था के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही अमल लाई जावेगी। आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों के लिए अलग–अलग राशि वसूल की जाएगी।
3. संबंधित संस्था घरों से कचरा संग्रहण कर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कचरा डालेगी।
4. तीन दिन या इससे अधिक दिनों तक संबंधित संस्था की गाड़ी घरों से कचरा संग्रहण करने नहीं आएगी तो संस्था के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
5. संबंधित संस्था द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों के श्रमिक मय चालक, मरम्मत व्यय, डिजल आदि समस्त व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जावेगा। निगम इसमें किसी भी तरह से व्यय नहीं करेगा। घर–घर कचरा संग्रहण कार्य में उपयोग लिए जाने वाले 90 ऑटो टिपर वर्ष 2017–18 के मॉडल की होनी चाहिए।
6. संस्था द्वारा निगम की निर्धारित शर्तो पर संतोषजनक रूप से कार्य नहीं करने पर संस्था को तीन बार नोटिस जारी किया जावेगा। उसके पश्चात् भी कार्य में सुधार नहीं होने पर संस्था के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17.09.2018 को अपराहन 3:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय की स्वास्थ्य शाखा में प्रस्तुत की जा सकेगी एवं दिनांक 18.09.218 को अपराहन 3:00 बजे संस्थाओं के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। नगर निगम बीकानेर को किसी प्रस्ताव/समस्त प्रस्तावों को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(डॉ. प्रदीप के. गावंडे)I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक/स्वा./2018/21834–838 24 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न अभिरुचि आमंत्रण सूचना का प्रकाशन उपरोक्तानुसार तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप बीकानेर में सर्वाधिक प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

(डॉ. प्रदीप के. गावंडे)I.A.S.
आयुक्त

HO/Agust 2018/D Drive/JP